

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

दिनांक 25-9-2026 अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा ली गयी बैठक में
प्रदत्त निर्देश:-

01 न्यायायिक प्रकरण:-

न्यायिक प्रकरण में सभी जिलों की बैठक करके रिव्यू करना है और मिनिट्स निदेशालय को प्रेषित करना है ।

02- SHVR :-

कोटपुतली जिला 39वें स्थान पर है दौसा 35वे स्थान पर जयपुर 26वें अलवर 28वें तथा खैरथल तिजारा 23 वें स्थान पर किसी भी जिले की स्थिति सही नहीं है

03 My Bharat portal

खैरथल तिजारा 35वें स्थान पर
दौसा,कोटपुतली, जयपुर की एन्ट्री भी बहुत कम है ।

04- हरित पाठशाला

सत्र 2024-25 से 2025-26 में जो पौधे लगाये गये थे उनका सत्यापन किया जावे कि वे जीवित है

अथवा मृत हो गये है। इसकी पोर्टल पर प्रविष्टि करें।

वर्तमान सत्र 2026-27 में लगाए गए पौधों की शत प्रतिशत जियो टैगिंग आवश्यक रूप से की जावे।

05- विज्ञान क्लब पंजीयन:-

जिन विद्यालयों में विज्ञान संकाय ऐच्छिक विषय के रूप में संचालित है तथा जहां प्रयोगशाला है।

वहाँ प्राथमिकता से विज्ञान क्लब का पंजीयन किया जाए।

06- इन्स्पायर अवार्ड:-

Emias पोर्टल पर इन्स्पायर अवार्ड के आइडिया राजस्थान के विभिन्न विद्यालयों द्वारा अपलाडे किये

आ चुके है।

यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक विद्यालय Emias पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर

अधिकतम 05 विद्यार्थियों के नवाचार आइडिया अपलाडे किये जाय।

07-R.T.E:-

प्राप्त बजट के अनुसार पास आर्डर तैयार कर लेवे ताकि पोर्टल चालू होने पर शीघ्र- अतिशीघ्र

भुगतान संबंधी कार्यवाही हो सके।

यदि

बिल है तो पास आर्डर बनाये यदि नहीं हाे तो बजट सरेंडर करे

08-DRM/BRM Minutes

निदेशालय द्वारा दिनांक 24.8.2026 को जारी स्कूल गाइड लाईन का अवलोकन कर निर्धारित अवधि

में DRM/BRM के मिनट्स अपलोड करे।

दौसा जिले की डीआरएम की एंट्री नहीं है ।

09- विद्या संबल –

यूसीईईओ परिक्षेत्र में आने वाले विद्यालयों में प्राध्यापक के रिक्त पदों की विषयवार एवं विद्यालयवार

अनुमानित संख्यात्मक सूचना तैयार कर संयुक्त निदेशक कार्यालय को समेकित कर प्रेषित करे।

10-भवन सुरक्षा एवं जर्जर भवन :-

समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जाये। विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी

सुरक्षित कक्ष में ही बैठे।

जर्जर कक्षा-कक्ष की **fencing** करवायी जाए।

यदि यह ध्यान में लाया जाता है कि कोई कक्षा अथवा विद्यालय स्टाफ असुरक्षित कक्ष में बैठ रहे हो

ता' नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जर्जर भवन विद्यालय/कक्षा-कक्ष की संख्या जो निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है

उसमें परिवर्तन न करे

जयपुर जिले में सभी जर्जर विद्यालय भवन 96.35 ही जमींदोज हुए है ।

11-लाडो योजना:-

विभिन्न स्तरों पर यथा जिन विद्यालय/पीईईओ/यसूईईओ/जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर

आवेदन पेडिंग पडे है, आगे फारवर्ड नहीं कर रहे है। इन्हे नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए फॉरवर्ड

किया जाए।

आईएफएमएस 3.0 प्रारम्भ होते ही बिल ट्रेजरी पहुँचाए। ताकि समय पर भुगतान किया जा सके।

शाला दर्पण पर लॉग-इन आई डी से प्रगति देखी जा सकती है।

डीईईओ के पास पेमेंट के लिए नहीं आ पाए है।

वित्तीय स्वीकृति से पूर्व लाडो योजना के आवेदन अग्रेषण का कार्य पूर्ण करे।

12-विभागीय जांच:-

जांच प्रक्रिया में उपस्थापन अधिकारी अपनी भूमिका सावधानी से निर्वाह करे।

जांच अधिकारी की जिम्मेदारी है कि जांच नियमानुसार हो, लम्बे समय तक जांच पेंडिंग न रहे।

महिला कार्मिक की जांच में जांच दल में एक महिला सदस्य अवश्य हो तथा पीडित महिला उत्पीडन संबंधी प्रकरणों में महिला कार्मिक की पहचान उजागर न हो तथा तत्परता से जांच करें।

प्रत्येक जांच प्रकरण की संवेदनशीलता एवं निष्पक्षता से सम्पादित किया जाए।